न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2012 निग० — 548-PBR/12 (32)

श्री टी. सी. नरवरिया अभि० द्वारा आज दि० 7-3-12 को प्रस्तुत
7-3-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अशोक माथुर पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद माथुर दत्तक पुत्र मदन मोहन माथुर जाति कायस्थ निवासी एस.टी.एम. बंगले के पीछे गंज बासौदा जिला विदिशा म.प्र.

..........प्रार्थी

बनाम

श्रीमती प्रभा देवी बेवा वीरेन्द्र माथुर निवासी चाचा वाली गली गंज बासौदा विदिशा म.प्र.

.......प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.02.2012 प्रकरण कमांक 11/2011–12 अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय गंज बासौदा प्रभा देवी अपीलान्ट विरूद्ध अशोक माथुर आदि।

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

T.C. Narvariya
Advocate

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, अधीनस्थ तह न्यायालय में प्रार्थी द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया था कि माननीय सिविल जज वर्ग 1 बासौदा के न्यायालय में बिचाराधीन वाद कमांक 126ए/94, में दिनांक 29.04.1995 को ग्राम उकावद, ग्राम कमरूआ मोदन व ग्राम बैहलोट की भूमि जिसका वाद पत्र में उल्लेख है माननीय व्यवहार न्यायाधीश द्वारा 11.05. 1990 में प्रार्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुये कि उक्त भूमि प्रकरण के पक्षकार विकय खुर्द बुर्द नहीं करेंगे, का आदेश पारित किया था। तत्पश्चात प्रतिवादी द्वारा भूमि विकय करने पर प्रार्थी के पिता द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुये यह आदेश 30.04.1995 को पारित किया

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 540 /पी0बी0आर0/2012 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
3-2-16	पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने जा चुके हैं। प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। 3/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी, गंज बासोदा व्दारा प्रकरण क्रमांक 11/2011-12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 29-2-12 के अवलोकन से स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में आवेदक (अनुविभागीय अधिकारी के यहां अनावेदक) ने 21-2-12 को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन दिया। अनावेदक के अभिभाषक ने इस आवेदन पर उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रकरण पूर्व से ही अंतिम तर्क हेतु नियत था । फलतः अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 29-2-12 में निर्णय लिया कि संहिता की धारा 32 के आवेदन पर एंव प्रकरण के तथ्यों पर एकसाथ बहस श्रवण की जावेगी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदक ने की है निगरानी के तथ्यों से एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से ऐसा प्रतीत	

होता है कि आवेदक जानबूझकर प्रकरण का अंतिम रूप से विनिश्चय होने देना नहीं चाहता है एंव प्रकरण में जानबूझकर विलम्ब कराना चाह रहा है जिसके कारण उसके व्दारा इस निगरानी में इतना समय व्यतीत कर लिया है जो न्यायदान की दृष्टि से उचित नहीं है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय का प्रकरण 29-2-12 से व्यर्थ लम्बित हुआ है अतएव न्यायदान की दृष्टि से निर्देश दिये जाते हैं कि अनुविभागीय अधिकारी उनके न्यायालय में प्रकरण प्राप्त होने पर हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये 60 दिवस के भीतर प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करें।

सदस्य